प्रेस नोट–118/2026
दिनांक 27.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर नगर/थाना चकेरी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 10 लाख 73 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 26/27.02.2026 को थाना चकेरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनोज इंटर नेशनल होटल के पास से अभियुक्त 1–अब्दुल रहमान 2–शुभान खान 3–लारेब सिद्दकी 4–मो0जीशान को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर पुलिस कार्यवाही में अहिरवाँ 80 फीट रोड के पास से अभियुक्त 5–मो0यासीन 6–मुजाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 10 लाख 73 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.02.2026 को थाना चकेरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल रहमान निवासी सलमा विला मिश्री बाजार थाना मूलगंज कानपुर नगर।

2–शुभान खान निवासी हीरामन का पुरवा थाना बेकनगंज कानपुर नगर।

3–लारेब सिद्दकी निवासी चौथा तल सूफी मंजिल थाना चमनगंज कानपुर नगर।

4–मो0जीशान निवासी हीरामन का पुरवा थाना बेकनगंज कानपुर नगर।

5–मो0यासीन निवासी हीरामन का पुरवा रिजवी रोड थाना बेकनगंज कानपुर नगर।

6–मुजाहिद निवासी हीरामन का पुरवा थाना बेकनगंज कानपुर नगर।

बरामदगी

1–लूटे गये 10 लाख 73 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 58 लाख रूपये कीमत के 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 26.02.2026 को थाना कुरावली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटा–मैनपुरी राजमार्ग पर कुरावली पुल के नीचे से अभियुक्त हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 58 लाख रूपये कीमत के 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हनुमान राम निवासी ग्राम राणासर कल्ला धोरिमाना जनपद बाड़मेर राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 58 लाख रूपये कीमत के 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक।

- **जनपद सहारनपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 अरब 75 करोड़ 97 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सहारनपुर पुलिस ने अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 अरब 75 करोड़ 97 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना करमा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना करमा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेन्द्र 2–जसवंत 3–निहाल को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना करारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मनोज कुमार 2–अमर देव को सश्रम आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना थरियांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना थरियांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चमन को सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राज उर्फ राजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रक्षाराम को 15 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।